Miche Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] No. 49] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2004/फाल्गुन 26, 1925 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2004/PHALGUNA 26, 1925

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2004

सं. 3-14/2004-मापदण्ड.—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् भारत सरकार की पूर्वानुमित से निम्न विनियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:
- (1) इन विनियमों को 'नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2003' कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र अधिसूचना में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषा: -- इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :--
 - (क) ''अधिनियम'' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 अभिप्रेत है।
 - (ख) ''प्रपत्र'' से इन विनियमों में संलग्न प्रपत्र से अभिप्रेत है।
 - (ग) ''धारा'' से अधिनियम की धारा से अभिप्रेत है और
 - (घ) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहां परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।
- 3. चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण खोलने अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि की अनुमति हेतु:—

यदि कोई व्यक्ति नया चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का इच्छुक है अथवा कोई चिकित्सा महाविद्यालय अध्ययन का नया अथवा, उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करना चाहता है अथवा अध्ययन के

(1)

859 GI/2004

किसी पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहता है तो उसे विनियम ४-६ में उल्लिखित प्रिक्रिया एवं मानदण्डों का अनुसरण करना होगा तथा विनियम ४ में दिए गए प्रपत्र के अनुसार आवेदन पत्र सहित स्कीम केन्द्र सरकार को भेजेगा ।

४. स्कीम के लिए आवेदन पत्र

- ·(1) यदि कोई व्यक्ति नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करना चाहता है तो वह प्रपत्र -। में आवेदन- पत्र सहित स्कीम भेजेगा ।
- (2) यदि कोई चिकित्सा महाविद्यालय अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना चाहता है तो वह प्रपत्र-२ में आवेदन-पत्र सहित स्कीम भेजेगा ।
- (3) यदि कोई चिकित्सा महाविद्यालय अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहता है तो वह प्रपत्र-३ में आवेदन- पत्र सहित स्कीम भेजेगा ।

५. <u>प्राधिकारी जिसको स्कीम और आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है :-</u>

विनियम ४ के अधीन आवेदन- पत्र और स्कीम विनियम में संलग्न अनुसूची के अनुसार सचिव, भारत सरकार, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग को भेजी जाएगी ।

६. आवेदन-पत्र भेजने के लिए पात्रता

- (1) विनियम ४ के उपविनियम (1) के अधीन व्यक्ति अथवा चिकित्सा महाविद्यालय आवेदन भेजने के पात्र हैं यदि-----
 - (क) उसका एक प्रयोजन आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब के बारे में शिक्षा प्रदान करना हो ।
 - (ख) यदि प्रस्ताव ५० छात्रों की प्रविष्टता की अनुमित के लिए है तो कम से कम १० एकड़ भूमि का अपना अथवा ६६ वर्ष के लिए पट्टे पर उपयुक्त भूखण्ड हो, और यदि प्रस्ताव १०० छात्रों तक की प्रविष्टि के लिए है तो कम से कम १५ एकड़ का भूखण्ड हो तथा उसी भूखण्ड में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की वचनबद्धता हो ।

- (ग) प्रस्तावित स्थान पर नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार से प्रपत्र ४ में "अनापित प्रमाण-पत्र" प्राप्त कर लिया हो ।
- (घ) किसी केन्द्र अथवा राज्य सीविधि अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रपत्र ५ में "सम्बद्धता हेतु सहमित" प्राप्त कर ली हो ।
- (ड) आवश्यक सुविधाओं और अवसंरचना सहित कम से कम १०० श्रय्याओं वाला भारतीय चिकित्सा में अपने अस्पताल का प्रबंधन करता हो ।
- (च) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय में भी किसी कक्षा अथवा स्तर अथवा पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में पहले से ही छात्रों को प्रवेश नहीं दिया हो ।
- (छ) वाणिज्यिक बैंक से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के पक्ष में ५ वर्ष की अवधि के लिए वैध निम्न दो निष्पाद प्रत्याभूति देने की स्थिति में हो ।
- (i) चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए ,

५० सीटों तक

रू. एक करोड

५१-१०० सीटों तक

रू. बीस लाख प्रति १० अथवा कम सीटों के लिए

(ii) शैक्षणिक अस्पताल और इस की अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए----

१५० शय्याओं तक अतिरिक्त शय्याओं के लिए

रू. एक करोड़ पचास लाख

रू. दस लाख प्रति १० अथवा कम शय्याओं के लिए

ष्ट्रट- उपर्युक्त शर्त राज्य सरकारों/केन्द्रशासित सरकारों पर लागू नही होगी यदि वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तक वित्त देने के लिए वचनबद्ध हो ।

- २. महाविद्यालय विनियम ४ के उप-विनियम २ के अधीन आवेदन-पत्र देने का पात्र है यदि,
- (क) सम्बंधित राज्य सरकार अथवा केन्द्रशासित प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ली हो (प्रपत्र ४) ।
- (ख) केन्द्र अथवा राज्य विधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय की सहमति प्राप्त कर ली हो (प्रपत्र ४) ।

- (ग) केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों के अनुरूप अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, स्टाफ, स्थान, उपकरणों और अन्य अवसरचना के समर्थन में प्रलेखित साक्ष्य देने हेत् सक्षम हो ।
- (घ) केन्द्रीय परिषद् द्वारा आयुर्वेद/सिन्ध/यूनानी में स्नातकीय अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता कुमशः साढे पाँच वर्ष एवं तीन वर्ष की प्राप्त कर ली हो ।
- (इ) केन्द्र सरकार राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा प्रबन्ध किए जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा उएबन्ध (ध) में उल्लिखित मानदण्डों को पूरा करने में छूट दी गई हो ।
- (च) स्नातकोत्तर पाठ्यकम के लिए छात्रों का चयन केन्द्रीय परिषद द्वारा विहित शैक्षिक वरीयता के आधार पर किया जाता है ।
- (छ) रनातकोत्तर उपाधि अथवा डिप्लोमा और अधिमान्य विशेषज्ञता विषयों के पाठ्यक्रम की नामावलि तथा शिक्षक छात्र अनुपात सम्बन्धित विनियम के अनुसार हो ।
- (ज) आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी तिब्ब महाविद्यालय/संस्थान प्रत्येक विषय में अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाओं के लिए निम्न रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैक से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के नाम बैंक प्रत्याभूति देता हो :-

स्नातकोत्तर पाठ्यकम

रू. पद्मास लाख

अधिमान्य विशेषज्ञता पाठ्यक्रम - रू. एक करोड़ अन्य मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम - रू. तीस लाख

ष्ट्रट- यह शर्त उन महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी

(i) जो राज्य सरकारों द्वारा शासित है, बशर्ते कि वे योजना बजट में उल्लिखित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार नियमित स्वप से भीवधाएं पूरी होने तक वित्त प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हो और

- (ii) उस विषय में कोई पाठ्यक्रम चलाना है जहाँ परिषद् ने उस विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति पहले से दी हुई हो ।
- ३. विनियम ४ के उप-विनियम ३ के अधीन कोई चिकित्सा महाविद्यालय आवेदन करने के लिए पात्र होगा यदि----
 - (क) सम्बंधित राज्य सरकार अथवा केन्द्रशासित प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ली हो (प्रपत्र ४)
 - (ख) केन्द्र अथवा राज्य संविधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय की सहमित प्राप्त कर ली हो (प्रपत्र ५) ।
 - (ग) केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों के अनुरूप अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, स्टाफ, स्थान, उपकरणों और अन्य अवसंरचना के समर्थन में प्रलेखित साक्ष्य प्रस्तुत करें ।
 - (घ) स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए साढ़े पाँच वर्ष तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए तीन वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो ।
 - (ङ) केन्द्रीय परिषद द्वारा स्नातकीय/स्नातकोत्तर/अधिमान्य विशेषज्ञता पाठ्यक्रम/अन्य कोई मान्य पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति हो।
 - (च) चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम मानको एवं आवश्यकताओं के विनियम में निर्धारित शिक्षक और छात्र अनुपात रखता हो ।
 - (छ) स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अधिकतम संख्या १०० से अधिक न हो ।
 - (ज) आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी तिब्ब महाविद्यालय/संस्थान प्रत्येक पाठ्यक्रम/विषय में अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाओं के लिए निम्न रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के नाम बैंक प्रत्याभूति देता हो :-

स्नातकीय पाठ्यक्रम ५० सीटों तक - रू. पच्चीस लाख ५१ से १०० सीटों तक - रू. पचास लाख स्नातकोत्तर उपाधि प्रति सीट - रू.पॉच लाख अधिमान्य विशेषज्ञता पाठ्यक्रम प्रति सीट - रू. दस लाख अन्य कोई मान्य पाठ्यक्रम प्रति सीट - रू. दो लाख <u>ष्ट्र</u> उपर्युक्त शर्त राज्य सरकारों /केन्द्रशासित प्रदेशों के अधीन शासित महाविद्यालयों पर लागू नही होगी बशर्ते वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तक वित्त देने के लिए वचनबद्ध हो ।

७. *केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसाएं* --

धारा १३ क की उपधारा २ के अधीन केन्द्र सरकार से प्राप्त स्कीम पर केन्द्रीय परिषद प्रपत्र ६ में अपनी अनुशंसाएं केन्द्र सरकार को भेजेगी ।

८. *आवेदन पत्र के साथ भेजने के लिए शुल्क*

विनियम ४ के अधीन भेजे जाने वाले आवेदन-पत्र और स्कीम के साथ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर द्वारा निम्न शुल्क देय होगा :-

(क) चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए

स्व. तीन लाख पचास हजार

(ख) अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए

रू. दो लाख प्रति पाठ्यक्रम

(ग) प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए

रू. दो लाख

६. अनुमति आदेश

धारा १३ क की उप-धारा (६) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा पारित आदेश में छात्रों के प्रथम बैच को प्रवेश देने से पूर्व भवन निर्माण, अवसंरचना सुविधा, चिकित्सीय एवं सहायक उपकरणों, संकाय एवं स्टाफ से सम्बन्धित प्रारम्भिक आवश्यकताओं की स्थापना का स्पष्ट उल्लेख करेगा ।

प्रपत्र-।

्देखें विनियम ४ का उपविनियम (1)) नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र

411	·! -!	
9.	आवेदक का नाम (स्पष्ट शब्दों में)	
₹.	पूरा पता, पिन कोड सहित, दूरभाष संख्या, फैक्स एवं ई-मेल (स्पष्ट शब्दों में)	
₹.	मुख्यालय एवं शाखा कार्यालय, यदि कोई है, का पता, पिन कोड दूरभाष संख्या, टेलेक्स, फैक्स एवं ई-मेल	
8.	आवेदक की स्थिति राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र/ अथवा विश्वविद्यालय/न्यास	

- ५. पंजीयन/संस्थापन(संख्या एवं तिथि, यदि कोई है)
- ६. सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम एवं पता

|--|

७. चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न अस्पताल के लिए	
उपलब्ध प्रारंभिक अवसंरचना सुविधाएं	
(यदि आवश्यक हो तो पृथक पृष्ठ लगाएं)	
(पाप जापरपंप रा ता पृपंप पृष्ठ ताता)	
द. न्यास का गठन, सोसाइटी/न्यास के सदस्यों का	
ब्योरा, प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय का अध्यक्ष	
अथवा परियोजना निदेशक, विद्यमान अस्पताल का	
अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सदस्यो, परियोजना	
के अध्यक्ष अथवा निदेशक तथा अस्पताल के अध्यक्ष	
की अर्हता एवं अनुभव,	
६. वित्तीय क्षमता	
(यदि प्रार्थी ट्रस्ट है तो गत तीन वर्षो का तुलन पत्र,	
संसाधनों का विवरण)	**************************************
	÷
9०.प्रस्तावित आयु र्वेद/सिद्ध/यूनानी तिब्ब	
महाविद्यालय का नाम एवं पता	
99. चिकित्सा महाविद्यालय के प्रस्तावित स्थान की विशिष्टताएं	
(क) स्थान विवरण	
(ख) भूखण्ड का आकार	
(ग) अनुज्ञेय फर्श स्थान निर्देशिका	
(घ) भूमि आधिपत्य	#
(ड) भवन की उचाई	
(च) मार्ग सुगमता	

(छ) जन वाहनों की उपलब्धता	
(ज) विद्युत आपूर्ति	
(इ) जल आपूर्ति	
(७) मल-निष्कासन व्यवस्था	
(ट) संचार सुविधा	/
(ठ) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय का मास्टर प्लान	
(ड) अभिन्यास योजना, अनुभाग	
(ढ) उँचाई एवं तल के अनुसार क्षेत्रफल की गणना	
•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
१२. शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम	
(क) छात्रों की प्रस्तावित वार्षिक प्रवेश क्षमता	
(ख) प्रवेश विधि	
(ग) सीटों का आरक्षण/अधिमान्य आबंटन	
१३. क्रियात्मक कार्यक्रम	
(क) विभागानुसार तथा सेवानुसार क्रियात्मक आवश्यकताएं	
(ख) क्षेत्रीय आबंटन तथा कक्षा के अनुसार बैठने की क्षमता	
(अ) सनाम जामटन राया भना के अनुसार बठन का बमता	= W# (4 10 10 10 10 10 10 10 1
१४. उपकरणों की व्यवस्था	
उपकरणों की विभागानुसार सूची एवं प्रति	***************************************
वर्ष वृद्धि सम्बन्धी विनिर्देश ।	
יין אין אין אין אין אין אין אין אין אין	
(क) चिकित्सा उपकरण	
(ख) वैज्ञानिक उपकरण	1
(ग) सहयोगी उपकरण	
(A menu ather)	
१५. जनशक्ति कार्यक्रम	
विभागानुसार एवं प्रत्येक वर्ष में प्रावधान	
•	

(क) पूर्णकालिक शिक्षक वर्ग	
(ख) तकनीकी वर्ग	
(ग) प्रशासनिक वर्ग	<u> </u>
(घ) सहायक वर्ग	
(ड). वेतन का ढॉचा	
(च) वेतन अदायगी का प्रकार	
(छ) भर्ती प्रिक्रिया	
(ज) भर्ती का क्रम बद्ध कार्यक्रम	
१६. भवन कार्यक्रम	,
(क) विभाग, लैक्चर थिएटर, परीक्षा हाल, संग्रहालय इत्यादि	
(ख) स्टाफ क्वांटर	
(ग) स्टाफ एवं छात्रों के लिए आवास	
(घ प्रशासनिक कार्यालय	************************
(ड) पुस्तकालय	
(च) सभागार	
(छ) शिक्षण रसायनशाला	
(ज) शव गृह	
(झ) सांस्कृतिक एवं मनोरंजन केन्द्र	
(ज) क्रीड़ा स्थल	
(ट) वनौषधि उद्यान	
(ठ) अन्य सुविधाएं	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(अन्य सविधाओं का नाम बताएं)	

१७. निर्दिष्ट क्रिया कलापो का प्रस्तावित क्रमबद्ध तथा त्रैमासिक कार्यक्रम

(क) भवन के खाका और उसके पूरा होने का विवरण	
(ख) स्थानीय निकायों का अनुमोदन	,
(ग) सिविल निर्माण	
(घ) आभियान्त्रिक सेवाओं एवं उपकरणों का प्रावधान	
_	
(ड). स्टाफ की आवयकता	
(च) प्रवेश की अनुसूची	
१८. परियोजना की लागत	
(क) भूमि की पूंजीगत लागत	
(ख) भवन	
(ग) संयत्र एवं मशीनरी	
(घ) चिकित्सीय, वैज्ञानिक एवं सहायक उपकरण	
(इ). फर्नीचर एवं उपस्कर	
(च) प्रारम्भिक एवं परिचालन से पूर्व के व्यय	
9£. परियोजना के वित्तीय संसाधन	
व्या गरिनायाम् वर्गावस्थानं स्तिविक्	
(क) आवेदक का अंशदान	
-	
(ख) अनुदान	
(ग) दान	
(घ) लाभांश	
(ड) आविधक ऋण	
(च) अन्य स्नोत, यदि कोई हो	
२०. पूर्वानुमानित राजस्व	
(क) शुल्क ढॉचा	
(ख) अस्पताल के प्रयोक्ता प्रभार	
S. Z. S.	

(ग) विभिन्न म्रोतों से प्राप्त अनुमानित वार्षिक राजस्व २१. पूर्वानुमानित व्यय	
(क) परिचालन प्रभार (ख) अवमूल्यन	
२२. परिचालन परिणाम	
(क) आय का विवरण (ख) नकद राशि का विवरण	
(ग) परियोजित तुलन-पत्र	
२३. विद्यमान अस्पताल का नाम, पता तथा विवरण	
(क) शय्या क्षमता	
(ख) शय्याओं का बॅटवारा एवं शय्याओं का अधिभोग	
तथा क्या प्रतिछात्र तीन अन्तरंग रोगियों के मानदण्ड पूरे होंगे ।	
(ग) निर्मित क्षेत्र	
(घ) नैदानिक एवं परा - नैदानिक विषय	
(ड) बहिरंत रोगी विभागो की संख्या	
तथा विभागानुसार उपस्थिति	
(च) वास्तुशिल्पीय तथा अभिन्यास योजनाएं	
(छ) चिकित्सीय ∕सहायक उपकरणों की सूची	
(ज) आभियान्त्रिक सेवाओं की क्षमता और विन्यास	••••
(झ) अस्पतालीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं	
अन्य सहाय क एवं अनुसमर्थित सेवाएं	
(वर्गकम मे स्टाफ की क्षमता)	

भाग 11

विकास एवं विस्तारण कार्यकम

२४.विद्यमान अस्पताल के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि का विवरण	
(क) भूमि का ब्यौरा	,
(ख) चिकित्सा महाविद्यालय तथा प्रस्तावित अस्पताल की अवस्थिति	
(ग) स्थान विवरण	
(घ) भूखण्ड का आकार	
(ड) अनुज्ञेय फर्श स्थान निर्देशिका	
(च) भूमि आधिपत्य	
(छ) भवन की उचाई	
(ज) मार्ग सुगमता	
(झ) जनवाहनों की उपलब्धता	
(॰) विद्युत आपूर्ति	
(ट) जल [्] आपूर्ति	
(ठ) मल-निष्कासन व्यवस्था	
(ड) संचार सुविधा	
(ढ) प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय का मास्टर प्लान	
(ण) अभिन्यास योजना, अनुभाग	
(त) उँचाई एवं तल के अनुसार क्षेत्रफल की गणना	
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	
२५ विकसित नैदानिक कार्यक्रम :-	
विस्तारण कार्यक्रम के अन्तर्गत	
अतिरिक्त नैदानिक एवं परा–नैदानिक	
कियाकलापों के विस्तार का पत्येक तर्ष का वितरण	1

२६.उन्नयन क्रियात्मक कार्यक्रम	
(क) विषयानुकम तथा सेवा अनुक्रम में क्रियात्मक आवश्यकताएं (ख) विभाजित क्षेत्र	
(ग) विशिष्टता के अनुसार शय्याओं का विभाजन	
२७ भवन विस्तारण कार्यक्रम	
प्रति वर्ष अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए	
(क) विभाग, लैक्चर थिएटर, परीक्षा हाल इत्यादि	
(ख) अस्पताल	
(ग) स्टाफ क्वांटर	
(घ) स्टाफ एवं छात्रों के लिए आवास	
(ड) अन्य सहायक भवन	
२८. योजना एवं विन्यास	
अस्पताल का उन्नयन मास्टर प्लान तथा	
(क) विन्यास योजना	772220000000000000000000000000000000000
(ख) अनुभाग	
(ग) उँचाई	
(घ) अस्पताल के क्षेत्रफल की तल के अनुसार गणना	
(ड) सहायक भवनों के क्षेत्रफल की तल के अनुसार गणना	
२६. आभियान्त्रिक सेवाओं तथा अस्पताल सेवाओं	
की क्षमता एवं वि न्यास के विकास	
अशता परिवर्शन का विवरण	

३०. उपकरण कर्यिकम

उन्नत विभागानुसार उपकरणों की सूची जिसमें प्रति वर्ष मात्रा	एवं विनिर्देशन की अनुसूची सन्निहित हो।
(क) चिकित्सीय उपकरण	
(ख) वैज्ञानिक उपकरण	
(ग) सहयोगी उपकरण	
३१. उन्नत जनशक्ति कार्यक्रम	
विभागानुसार एवं प्रति वर्ष प्रावधान	*
(क) पूर्णकालिक शिक्षक वर्ग	
(ख) तकनीकी वर्ग	P-+
(ग) प्रशासनिक वर्ग	
(ध) संहायक वर्ग	
(ड). वेतन का ढॉचा	
(च) वेतन अदायगी का प्रकार	
(छ) भर्ती प्रिकेया	
(ज) भर्ती का क्रमबद्ध कार्यक्रम	
३२.विस्तारण योजना - निर्दिष्ट क्रिया कलापो का प्रस्तावित क	मबद्ध कार्यक्रम तथा त्रैमासिक अनुसूची
(क) भवन नमूने का प्रारम्भ एवं पूरा होना	
(ख) स्थानीय निकायों का अनुमोदन	
(ग) सिविल निर्माण	*
(घ) अस्पतालीय सेवाओं का अभियान्त्रिक प्रावधान	**************************************
(ड).चिकित्सीय एवं सहायक उपकरणों का प्रावधान	
(च) स्टाफ की आवश्यकता	
(छ) प्रवेश का कार्यक्रम	

३३. परियोजना की लागत	
(क) भूमि की पूंजीगत लागत	
(ख) भवन	·
(ग) सयंत्र एवं मशीनरी	
(घ) चिकित्सीय, वैज्ञानिक एवं सहायक उपकरण	
(ड). फर्नीचर एवं उपस्कर	
(च) परिचालन से पूर्व के और प्रारम्भिक व्यय	
३४परियोजना के वित्तीय संसाधन	·
(क) प्रार्थी का अंश्रदान	
(ख) अनुदान	
(ग) दान	
(घ) लामांश	
(ड).आविधक ऋण	
(च) अन्य म्रोत, यदि कोई हो	
३५. पूर्वानुमानित राजस्व	
्यः शन्य अ न्य	
(क) शुल्क ढॉचा (ख) अस्पताल के उपयोक्ता प्रभार	
(ग) विभिन्न स्रोतौं से प्राप्त अनुमानित वार्षिक राजस्व	
ns naturalis and	
३६. पूर्वानुमानित व्यय	
(क) परिचालन लागत	***************************************
(ख) अवमूल्यन	का ना का का का का का का का का ना ना ना ना ना का

30. T	रिचालन	पारणाम

(ক)	आय	का	विवर	ण
		,		_

(ख) नकद राशि का विवरण

(ग) परियोजित तुलन-पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नों की सूची

- 9. उपविधि/विज्ञिप्ति एवं एसोसिएशन के नियम/न्यास दस्तावेजों की सत्यापित प्रति
- २. पंजीयन/संस्थापन के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति
- ३. गत तीन वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र
- ४. कुल उपलब्ध भूमि की स्वामित्व के प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज की सत्यापित प्रति
- ५. भूमि उपयोगार्थ उपलब्ध स्थान की क्षेत्रीय योजना की सत्यापित प्रति ।
- ६. विद्यमान अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण
- ७. सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की सत्यापित प्रित ।
- ८. मान्य विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता हेतु सहमति की सत्यापित प्रति ।
- ६. आवेदक के बैंकर के नाम प्राधिकरण पत्र जिसमें केन्द्र सरकार/भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद को प्रार्थी के वित्तीय रिकार्ड की स्वतन्त्र जॉच के लिए प्राधिकृत किया गया हो ।
- 90. आवेदन पत्र के विभिन्न भागों के अनुसार अन्य अनुलग्नक (कृपया विवरण दें)

नोट :- सभी प्रतियाँ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो ।

प्रपत्र-२

(देंखे विनियम ४ का उपनियम २) अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण खोलने की अनुमित के लिए आवेदन पत्र

9.	आवेदक का नाम (स्पष्ट शब्दों में)	·
₹.	पूरा पता, पिन कोड - दूरभाष संख्या, फैक्स, ई-मेल - (स्पष्ट अक्षरों में)	
η λ .	मुख्यालय और शाखा कार्यालय,यदि कोई हो, पता, पिन कोड, दूरभाष संख्या, टेलेक्स, फैक्स, ई-मेल	
8.	आवेदक की स्थिति राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र/ अथवा विश्वविद्यालय/न्यास	
ن .	पंजीयन/संस्थापन (संख्या एवं तिथि, यदि कोई है)	
ξ.	सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम एवं पता	
19 .	स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए प्रथम बैच के प्रवेश का वर्ष	
ζ.	प्रथम प्रविष्ट स्नातकीय बैच की समाप्ति का माह एवं वर्ष	
€.	अनुमोदित सीटों की संख्या और विद्यमान स्नातक/स्नातकोत्तर	
90	. पाठ्यक्रम के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा मा की तिथि	न्यता

११. प्रस्तावित नया अथवा उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम का नाम	
११. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आवेदित सीटों की संख्या	**************************************
9२. विवरण देवें :- (क) अतिरिक्त वित्तीय आबंटन	
(ख) अतिरिक्त स्थान, उपकरण एवं अन्य अवसंरचना सुविधा का प्रावधान	·
(ग) अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती का प्रावधान	
१३. अन्य संबंधित सूचना	
	आवेदक के हस्ताक्षर
	पूरा नाम
•	पद

तिथि :

स्थान :

अनुलग्नकों की सूची

- 9. सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी "अनापित प्रमाण पत्र" की सत्यापित प्रति
- २. मान्य विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता हेतु सहमति की सत्यापित प्रति ।
- 3. आवेदक का बैंकर के नाम प्राधिकरण पत्र जिसमें केन्द्र सरकार/भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद को प्रार्थी के वित्तीय अभिलेख की स्वतन्त्र जॉच के लिए प्राधिकृत किया गया हो ।
- ४. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा पहले से यदि अनुमोदित है तो महाविद्यालय/संस्थान को मान्यता देने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के पत्र की सत्यापित प्रति

नोट :- सभी प्रतियाँ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो ।

प्रपत्र-३

(देंखे विनियम ४ का उपनियम ३) प्रवेश क्षमता बढ़ाने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र

9.	आवेदक का नाम (स्पष्ट शब्दों में)	
₹.	पूरा पता, पिन कोड दूरभाष संख्या, फैक्स, ई-मेल	
	(स्पष्ट अक्षरों में)	
₹.	मुख्यालय औ र शाखा कार्यालय,	
	यदि कोई हो, पता पिन कोड,	
	दूरमाष संख्या, टेलेक्स, फैक्स, ई-मेल	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8.	आवेदक की स्थिति	
	राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र/	
	अथवा विश्वविद्यालय/न्यास	
<u>ن</u>	पंजीयन/संस्थापन (संख्या एवं तिथि, यदि कोई है)	
ξ .	. सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम	
	एवं पता	
७.	स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए प्रथम बैच के प्रवेश का वर्ष	
ζ	. प्रथम प्रविष्ट स्नातकीय बैच की समाप्ति का माह एवं वर्ष	

 स. अनुमोदित सीटों की संख्या और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा मान्यता की तिथि ५०. प्रत्येक विषय/ पाठ्यक्रम के लिए आवेदित सीटों की संख्या 	
99. विवरण देवें :- (क) अतिरिक्त वित्तीय आबंटन	
(ख) अतिरिक्त स्थान, उपकरण एवं अन्य अवसंरचना सुविधा का प्रावधान	
(ग) अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती का प्रावधान	
१३. अन्य संबंधित सूचना	
	आवेदक के हस्ताक्षर पूरा नाम पद
तिथि :	•

स्थान :

अनुलग्नकों की सूची

- 9. सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की सत्यापित प्रति
- २. मान्य विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता हेतु सहमति की सत्यापित प्रति ।
- ३. आवेदक का बैंकर के नाम प्राधिकरण पत्र जिसमें केन्द्र सरकार भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद को प्रार्थी के वित्तीय अभिलेख की स्वतन्त्र जॉच के लिए प्राधिकृत किया गया हो ।
- ४. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा पहले से यदि अनुमोदित है तो महाविद्यालय/संस्थान को मायता देने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के पत्र की सत्यापित प्रति
- नोट :- सभी प्रतियाँ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो ।

प्रपत्र ४ (देखे विनियम ६ का उपबन्ध १ (ग) २ (क) एवं ३ (क)) राज्य सरकार की ओर से अनापित प्रमाण पत्र

संख्या	
भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग	सरकार
	तिथि

सेवा में

(आवेदक का नाम एवं पता)

विषय:- अनापित प्रमाण-पत्र

सन्दर्भ :

महोदय,

निम्न तथ्यों के सम्बन्ध में वांछित "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा रहा है :-

- 9. राज्य में विद्यमान चिकित्सा और आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब संस्थानों की संख्या ।
- २. उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा प्रतिवर्ष उत्पन्न चिकित्सा और आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब चिकित्साभ्यासियों की संख्या।
- ३. राज्य परिषद/भारतीय चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीकृत आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब चिकित्साभ्यासियों की संख्या ।
- ४. राज्य सरकार में सेवारत आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब चिकित्साभ्यासियों की संख्या ।

- ५. राज्य, विशेष रूप से ग्रामीण/कठिन क्षेत्रों में आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी चिकित्सकों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या ।
- ६. राज्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब चिकित्सकों की संख्या ।
- ७. राज्य में आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब चिकित्सकों एवं जनसंख्या का अनुपात ।
- चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/प्रवेश क्षमता मे वृद्धि/पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर राज्य में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की जन शक्ति की कमी की समस्या किस प्रकार से हल होगी तथा राज्य में चिकित्सा किमीयों की उपलब्धता में किस प्रकार से सुधार आएगा ।
- ६. छात्र, जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश पाने की प्रतिबन्द्धता अधिरोपित, यदि कोई है, का उल्लेख करें ।
- 90. मस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय खोलने /प्रवेश क्षमता बढ़ाने /नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण औचित्य ।
- 99. प्राप्य आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब चिकित्सक जनसंख्या अनुपात

में आयुर्वेद अथवा सिब्
अथवा यूनानी तिब्ब महाविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन किया है । प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचा
करने के पश्चात् को को नावेदक को
सीटो के साथ आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी महाविद्यालय स्थापित करने के लिए/ रं
प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि

(ক)	आवेदक के	पास	900	शय्याओं	वाला	अस्पताल	है	जिसकी	स्थापना	वर्ष
	को हुई थी			·						

(ख आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब महाविद्यालय की स्थापना / प्रवेश क्षमता में वृद्धि / ----- पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना) जनहित में वांछनीय है ।

(ग) में आयुर्वेद अथवा वि	संख
अथवा यूनानी तिब्ब महाविद्यालय की स्थापना/प्रवेश क्षमता में वृद्धि/	_
पाठ्यकम् प्रारम्भ करना उचित है ।	

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित/विद्यमान महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री है । आगे प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रार्थी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी महाविद्यालय के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मानदण्डों के अनुसार अवसंरचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है और केन्द सरकार द्वारा आगे प्रवेश रोक दिया जाता है तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार की अनुमित से महाविद्यालय में पहले से प्रविष्ट छात्रों की पूरी जिम्मेदारी लेगी ।

भवदीय

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर) कार्यालय मुहर

प्रपत्र ५ (देखें विनियम ६ के उपबन्ध १ (घ), २ (ख) और ३ (ख))

सबद्धता की सहमति

क्रमांक		
विश्वविद्यालय		
	स्थान	
	दिनांक	
	•	
स्थानीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर		विश्वविद्यालय ने भारत
सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय चि	i i	
४८) की धारा १३ (क) के अधीन अनुमति देने की शर्त	`	•
में सीटों के साथ !		
प्रस्तावित महाविद्यालय को संबद्धता देना/ पाठ्य		। स तक
· बढ़ाना/ पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना सैद्धान्तिक रूप	ा से स्वीकार कर लिया है ।	•
,		

क्लसचिव

टिप्पणी :- आवेदक को सम्बद्धता की सहमित जारी करते समय एक प्रति प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय की विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट के साथ सचिव, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,यूनानी,सिद्ध एवं होम्योपैथी, भारतीय रैडकास सोसाईटी बिल्डिंग, नई दिल्ली-१९०००१ को प्रेषित करें ।

प्रपत्र ६ (देखे विनियम ७) केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसाएं

संख्या	
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद	
	स्थान
	तिथि
सेवा में,	
सचिव, भारत सरकार,	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,	
आयुर्वेद,योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी वि	भाग, (आयुष)
भारतीय रैडकास सोसायटी भवन,	
 रैडकास रोड 	
<u>नई दिल्ली- 110001</u>	
महोदय,	
ત્રારામ,	
महो उपर्शतन निषय पर अपाने प्रसंद	संस् नो गंग्लीन करी क्या पर ननी
मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके पत्रांक दिन का निदेश हुआ है कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा नियुक्त	नाम का संदानत करन तथा यह कहन
प्रदेश/न्यास सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा	<u>नाम</u>) जिसकी स्थापना राज्य सरकार/केन्द्र शासित
अवसंरचना सुविधाओं का परिदर्शन किया गया था। परिदर्शन प्रतिव	वेटन की एवि एंन्सर है।
जनसर्वता पुरस्कान का सारपदान किया नेवा जा। सारपदान प्रास	परंग का त्रात त्तलम्य है।
२. परिदर्शन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्धित कागजात परिषद की कार	र्यक्रमीणी मणिति है मामान निर्मात
को सम्पन्त बैठक में उस्ते गए थे। परनाव पर ध्यानार्वक विचा	पकारणा सामारा के सम्मुख । देनाक
को सम्पन्न बैठक में रखे गए थे । प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचा को अनुमोदित/अनानुमोदित करने का निर्णय लिया सामान्य निकाय व	र भरत क परवात, कावकारिया सामात न स्काम के के
सम्पन्न बैठक में कार्यकारिणी समिति के निर्णय को अनुमोदित किया	कीको के
राजिल ने ने कार्यक्रार्या तानार के ग्रिय का अनुनादत किया	गपा है।

- ३. स्कीम एवं परिदर्शन प्रतिवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात केन्द्रीय परिषद निम्न निर्णयं पर पहुंची :-
- (i) कि आवेदक पात्रता और अर्हक मानदण्डों को पूरा करता है ।
- (ii) कि आवेदक के पास केन्द्रीय परिषद द्वारा यथा उल्लिखित, प्रस्तावित प्रवेश क्षमता के अनुरूप आवश्यक अवसंरचना सुविधा, छात्रों एवं छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा सिहत आयुर्वेद अथवा सिद्ध अथवा यूनानी तिब्ब महाविद्यालय स्थापित करने के लिए उचित तथा समयबद्ध कार्यक्रम है ताकि अनुमित प्रदान करने की तिथि के चार वर्ष के मीतर सुसज्जित महाविद्यालय स्थापित हो सके।
- (iii) कि आवेदक विद्यमान अस्पताल के उन्नयन अथवा महाविद्यालय के प्रांगण में ही नया अस्पताल स्थापित करने अथवा दोनों के माध्यम से केन्द्रीय परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त श्रय्याओं तथा अवसंरचनिक सुविधाओं को महाविद्यालय की स्थापना के चार वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराने के लिए शक्य तथा समयबद्ध कार्यक्रम रखता है ।
- (iv) कि आवेदक के पास प्रस्तावित महाविद्यालय को स्थापित करने एवं बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबन्धीय एवं वित्तीय क्षमता तथा शिक्षण अस्पताल सहित सहायक सहयोगी सुविधाएं हैं ।
- (v) कि आवेदक के पास केन्द्रीय परिषद द्वारा विहित मानदण्डों के अनुरूप संकाय और स्टाफ की भर्ती के लिए उचित और समयबद्ध कार्यक्रम है तथा आवश्यक पद सृजित समझे जावें ।
- (vi) कि आवेदक ने किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया है
- (vii) अवसंरचना अथवा संकाय में क्या कोई किमयां हैं (और यह भी इंगित करें कि वे दूर होने योग्य हैं या नहीं)

अवसंरचना सुविधाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के	उपलब्ध	टिपाणी
	मानदण्डों		
	मानदण्डों के अनुसार स्थापना के समय		
	में आवश्यकताएं		
9.	स्टाफ		
₹.	भवन		
₹.	्उपकरण		
٧.	संकाय		
y .	भेषजशाला		
Ę	वनौषधि उद्यान		
9 .	अन्य आवश्यकताएं		

उपर्युक्त परिस्थिति में परिषद भारत सरकार को इस आशय का पत्र जारी करने/अथवा जारी न करने के लिए संस्तुति करती है ।

(यदि परिषद आशय का पत्र जारी करने की अनुशंसा नहीं करती है) स्कीम को अनानुमोदित करने के कारण निम्नं प्रकार हैं :-

(ৰ্ক)	 		
(ख)	 		
(T)	 	·	

स्कीम मूल रूप में वापिस की जाती है ।

भवदीय

निबन्धक-सह-सचिव भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

अनुलग्नकः- निरीक्षण प्रतिवेदन तथा स्कीम

अनुंसूची (देखे विनियम ५) आवेदन पत्र प्राप्त करने तथा उसकी प्रक्रिया के लिए अनुसूची

कुम्	संख्या प्रक्रिया की स्थिति	अन्तिम तथि
9. वे	न्द्र सरकार द्वारा आवेदन की प्राप्ति	किसी भी वर्ष में 9 अप्रैल से ३० अप्रैल तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं) ।
-	तकनीकी छानबीन के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन पत्रों भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को प्रेषित करना ।	को ३१ मई
	केन्द्रीय परिषद द्वारा केन्द्रीय सरकार को अनुशंसाए भेजना।	३१ अगस्त
8.	जॉच, यदि धारा १३ (क) की उपधारा (५) के अधीन, व केन्द्र सरकार द्वारा पत्र जारी करना ।	ोई हो तो ३० सितम्बर
y .	की गई जॉच के लिए आवेदक से प्राप्त उत्तर	३१ अक्टूबर
ξ.	अनुमति पत्र जारी करने के लिए विचारार्थ केन्द्रीय परिषद	द्वारा स्कीम की प्राप्ति ३० नवम्बर
	अनुमति पत्र जारी करने हेतु केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय ए	रिषद की अनुशंसाएं २८ फरवरी
ζ.	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी करना	३१ मार्च

टिप्पणी:- 9. आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी तिब्ब महाविद्यालय खोलने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के भाग 9 में दी गई सूचना अर्थात संगठन, मूल अवसंरचना सुविधाएं, आवेदक की प्रबन्धीय एवं वित्तीय क्षमता के सम्बन्ध में दी गई सूचना की केन्द्रीय परिषद आवेदन के माध्यम से जॉच करेगी और तत्पश्चात केन्द्रीय परिषद केन्द्रीय सरकार को आशय पत्र जारी करने की अनुशंसा करेगी ।

२. यदि आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी तिब्ब महाविद्यालय खोलने के लिए उपर्युक्त अनुसूची का अनुपालन नहीं किया गया हो और केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रवेश कर लिया गया हो तो नए चिकित्सा महाविद्यालय को/नवीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

> प्रेम राज शर्मा, निबन्धक-सह-सचिव [विज्ञापन-3/4/असाधारण/124/03]

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2004

No. 3-14/2004-Norms.—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

- 1. Short title and commencement -
 - (1) These regulations may be called the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2003.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definition: In these regulations, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Indian Medicine Central Council Act, 1970;
 - (b) "Form" means a Form annexed to these regulations;
 - (c) "section" means a section of the Act; and
 - (d) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The permission for establishment of a medical college, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity -

Any person intending to establish a medical college or any medical college intending to open a new or higher course of study or training or intending to increase admission capacity in any course of study or training shall follow the procedure and criteria mentioned in regulations 4 to 6 and submit a scheme to the Central Government along with an application in the form specified in regulation 4.

4. Application Form of scheme -

- (1) Any person intending to establish a medical college shall submit the scheme along with an application in Form-1.
- (2) Any medical college intending to open a new or higher course of study or training shall submit the scheme along with an application in Form-2.
- (3) Any medical college intending to increase its admission capacity in any course of study or training shall submit the scheme along with an application in Form -3.
- 5. Authority to whom the schemes and applications is to be submitted –

Applications and schemes under regulation 4 shall be submitted to the Secretary to the Government of India, Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) as per the schedule annexed to the regulations.

6. Eligibility for making an application -

- (1) For making an application under sub-regulation (1) of regulation 4, a person or a medical college shall be eligible if, -
 - (a) his one of the objectives is to impart education about Ayurveda or Siddha or Unani Tibb;
 - (b) owns or possesses on lease of ninety nine years, a suitable single

plot of land, measuring not less than ten acres if the proposal is for admitting up to fifty student, and not less than fifteen acres, if the proposal is for admitting up to one hundred students, and undertake to establish the medical college in the said plot of land;

(c) has obtained 'No Objection Certificate' in Form- 4 from the concerned State Government for establishing a new medical college

at the proposed site;

(d) has obtained a 'Consent of Affiliation' in Form- 5 for establishing a new medical college from a University established under any Central or State statute;

- (e) owns and manages a hospital in indian medicines containing not less than one hundred beds with necessary facilities and infrastructure;
- (f) has not already admitted students in any class or standard or course or training of the proposed medical college; and
- (g) is in a position to provide two performance bank guarantees from a Scheduled Commercial Bank valid for a period of five years in favour of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi as follows:
 - (i) for the establishment of medical collegeupto 50 seats rupees one crore
 51 100 seats rupees twenty lakhs per ten or less seats
 - (ii) for the establishment of the teaching hospital and its infrastructure facilities-

upto 150 beds - rupees one and a half crore additional beds - rupees 10 lakhs per 10 or less beds

Exemption:

The above condition shall not apply to the persons who are State Governments/Union Territories if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time bound programme.

- (2) For making an application under sub-regulation (2) of regulation 4, a medical college shall be eligible if, -
 - (a) has obtained the permission of the concerned State Government or the Union Territory Administration (Form- 4);
 - (b) has obtained the concurrence of the University established under

any Central or State Statute (Form- 5);

- (c) is able to produce documentary evidence in support of additional financial resources, staff, space, equipment and other infrastructure as per Central Council norms;
- (d) is recognized by the Central Council for running Undergraduate or Postgraduate course in Ayurveda/Siddha/Unani for at least 5 ½ and 3 years respectively;
- (e) is axempted by the Central Government for being owned or managed by the Central Government/State Government from fulfilling the criteria specified in sub-clause (d);

(f) selection of students for post-graduate courses is made strictly on the basis of academic merit as prescribed by Central Council;

(g) the nomenclature of post-graduate degree or diploma and superspecialty courses and teacher-student ratio is as laid down in the concerned Regulations;

(g) the Ayurved/Siddha/Unani Tibb College/institution provides a bank guarantee in favour of the Central Council of Indian Medicine from a Scheduled Commercial Bank for providing additional infrastructural facilities for each discipline as follows:-

Post-graduate course - rupees fifty lakhs
Super-specialty course - rupees one crore
Any other recognised course - rupees thirty lakhs

Exemption: The above condition shall not apply to colleges -

- (i) who are governed by the State Governments; provided that they give an undertaking to provide funds in their Plan Budget regularly till facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them, and
- (ii) for opening any course in the subject where the Council has already recognized the post-graduate course on the same subject.
- (3) For making application under sub-regulation (3) of regulation 4, a medical college shall be eligible if,
 - (a) has obtained the permission of the concerned State Government or the Union Territory Administration (Form- 4);

- (b) has obtained the concurrence of the University established under any Central or State Statute (Form- 5);
- (c) has produced documentary evidence in support of additional financial resources, staff, space, equipment and other infrastructure as per Central Council norms;
- (d) has completed a period of five and a half year in case of Undergraduate course and three years in case of Postgraduate course(s).
- (e) recognized by the Central Council for running Undergraduate/Post-graduate/Super-speciality/any other recognised course;
- the ratio of teaching staff and students is maintained as laid down in the regulation on Minimum Standards and requirements for admission in the medical college;
- (g) the maximum number of admissions in Undergraduate course does not exceed 100;
- (h) provides a bank guarantee in favour of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi from a Scheduled Commercial Bank for providing additional infrastructural facilities for each course/discipline as follows:-

Under-graduate course: Up to 50 seats
Between 51 to 100 seats

rupees twenty five lakhs

rupees fifty lakhs

Post-graduate degree:

per seat

rupees five lakhs

Super-specialty course:

per seat

rupees ten lakhs

Any other recognised course:

per seat

rupees two lakhs

Exemption: The above condition shall not apply to colleges who are governed by the State/UT Governments provided that they give an undertaking to provide funds in their Plan Budget regularly till facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them;

7. Recommendation of the Central Council –

On receipt a scheme from the Central Government under sub-section (2) of section 13A, the Central Council shall submit its recommendations to the Central Government in Form-6.

8. Fee to be submitted along with application -

An application and scheme to be submitted under regulation 4 shall be accompanied by the following admission fee by way of a demand draft/pay order payable to the 'Central Council of Indian Medicine' New Delhi:-

(a) to establish medical college

- rupees three lakhs fifty thousand.

(b) to open a new or higher course of study or training

- rupees two lakhs per course.

(c) to increase admission capacity

- rupees two lakhs.

9. Permission Order -

The order passed by the Central Government under sub-section (9) of section 13A shall clearly indicate the preliminary requirement about setting up of buildings, infrastructural facilities, medical and allied equipments, faculty and staff before admitting the first batch of students.

FORM - 1

(see sub-regulation (1) of regulation 4)

APPLICATION FOR PERMISSION TO ESTABLISH A NEW MEDICAL COLLEGE

Part – I	
1. Name of the applicant (in BLOCK letters)	
2. Complete Address with Pin code, telephone nos., fax and e-mail) (in BLOCK letters)	
3. Address of Head Office and Branch Office, if any, with Pin code, telephone nos, telex, fax and e-mail)	
4. Status of applicant whether State Government/Union Territory/ or University or Trust	
5. Registration/incorporation (Number and date, if any)	
6. Name and address of Affiliating University	
<u>PART I</u>	
7. Basic Infrastructure Facilities available for Medical college and attached Hospital (Attach separate sheet if necessary)	
8. Composition of the Trust, Particulars of members of the Society/ Trust, Head or Project Director of the proposed Medical College, head of the existing Hospital, Qualifications and Experience in the field of Medical	

भारत	का	गलप	7 .	असाधारण
.11/11	44	राणप	1 .	जलावारण

_	
-	~
	_

or Director and head of the Hospital. 9. Financial Capability (Balance sheet for the last three years to be provided if the applicant is a Trust. Details of the resources to be prescribed).	
 Name and Address of the proposed Ayurved/Siddha/ Unani Tibb College 	
11. Characteristics of proposed site of the M	Medical College: -
(a) topography	
(b) plot size	
(c) permissible floor space index	
(d) ground coverage	
(e) building height	
(f) road access	
(g) availability of public transport	
(h) electric supply	
(i) water Supply	
(j) sewerage connection	
(k) communication facilities	
(l) Master Plan of the proposed Medical College	
(m) Layout plans, sections	
(n) elevations and floor wise area calculations	

12. Educational Programme	
(a) proposed annual intake capacity of students	
(b) mode of admission	
(c) reservation/preferential allocation of seats.	
13. Functional programme	
(a) Department wise and service wise functional requirements	
(b) Area distribution and room wise sitting capacity.	
14. Equipment programme	
Department wise list of equipmen specifications —	its with year wise schedule of quantities and
a) medical equipments	
b) scientific equipments	
c) allied equipments	
15. Man-power programme	
Department wise and year wise pro	visions-
a) full time teaching staff	
b) technical staff	
c) administrative staff	•
d) ancillary staff	
e) salary structure	
f) mode of payment of salary	

g) recruitment procedure	
h) recruitment calendar	
16. Building programme	
a) departments, lecture theatres,	
examination hall, museum etc	
b) staff quarters	
c) staff and students hostels	
d) administrative office	
e) library	
f) auditorium	
g) teaching pharmacy	-
h) mortuary	
i) cultural and recreational center	
j) sports complex	
k) medicinal plants garden	
 Other facilities (state name of other facilities) 	
17. Proposed Phase programme and quarter v	vise schedule of activities indicating –
a) commencement and completion of building design	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
b) local body approvals	
c) civil construction	
d) provision of engineering services	

21. Ex	penditure assumptions	
a)	operating expenses	
b)	depreciation	
22. Op	erating results	
a)	income statement	
b)	cash flow statement	<u> </u>
c)	projected balance sheets	
	ame, address and details of the isting hospital	
a)	bed strength	·
b)	bed distribution, bed occupancy and whether a norm of three in-patients per student would be fulfilled.	
c)	built up area	
d)	clinical and para clinical disciplines	
e)	number of out patient departments and department wise attendance	
f)	architectural and layout plans	
g)	list of medical/allied equipments	
h)	capacity and configuration of engineering services	
i)	hospital services, administrative services, other ancillary and support services (category wise staff strength)

Part II

UPGRADATION AND EXPANSION PROGRAMME:

1	Details about the additional and for expansion of the existing hospital	
a)	land particulars	
b)	location of medical college and proposed hospital	
c)	topography	
d)	plot size	
e)	permissible floor space index	
f)	ground coverage	
g)	building height	
h)	road access	
i)	availability of public transport	
j)	electric supply	
k)	water Supply	
1)	sewerage connection	
m)	communication facilities	
n)	Master Plan of the proposed Medical College	
o)	Layout plans, sections	
p)	elevations and floor wise area calculations	

25. Upg	graded Clinical Programme:-		
(Year wise details of the additional clinical and para clinical activities envisaged under the expansion programme		
26. Upg	raded functional programme: -	•	•
	specialty wise and service wise functional requirements		
b) a	area distribution		
c) s	specialty wise bed distribution		
27. Buil	lding expansion programme: -		
Ŋ	Year wise additional built-up area to l	be provided for -	
	lepartments, lecture theatres, examination hall etc		
a) h	ospital		
b) s	taff quarters		
c) s	taff and students hostels		
d) o	ther ancillary buildings	/	
			. *
28. Plan	ning and Layout: -		
Upgr	aded master plan of the hospital com	plex along with:-	
a) L	ayout plans		
b) S	ections		
c) E	levations		
•	loor wise area calculation f the hospital		

PART III—SEC. 4]	

TH 117	O LOTTOTTO			AORDINARY
1 14 14	1 - 7 7 8 1 1 8	T THE END OF THE	HXIL	AL BELLINGARY
1111				

e) Floor wise area calculation of ancillary buildings
29. Details about up gradation or addition in the capacity and configuration of engineering services and hospital services
30. Equipment programme:
Upgraded department wise list of equipments with year wise schedule of quantities and specifications –
a) medical equipments
b) scientific equipments
c) allied equipments
31. Upgraded manpower programme:
Department wise and year wise provisions-
i) full time teaching staff
j) technical staff
k) administrative staff
l) ancillary staff
m) salary structure
n) mode of payment of salary
o) recruitment procedure
p) recruitment calendar
32. Expansion of scheme - proposed phase programme and quarter wise schedule of activities indicating -
a) commencement and completion of building design

b) local body	approvals _	
c) civil constr	uction _	·
d) provision o hospital ser	f engineering and vices	
e) provision o allied equip		•
f) requiremen	t of staff	
g) schedule o	f admission	
33. Project cost		
a) capital cos	t of land	
b) buildings		<u> </u>
c) plant and r	nachinery	
d) medical, se equipment	cientific and allied	
e) furniture a	nd fixtures	
f) preliminar	y & preoperative expenses	
34. Means of fina	ancing the project :-	
a) contributi	on of the applicant	
b) grants		
c) donations		
d) equity		
e) term loan	s .	
f) other sou	rces, if any	

35. Revenue assumptions

a) fee structure	
b) hospital user charges	
c) estimated annual revenue from various sources	
36. Expenditure assumptions	
a) operating expenses	
b) depreciation	
37. Operating results	
a) income statement	
b) cash flow statement	
c) projected balance sheets	

SIGNATURE OF APPLICANT

List of enclosures:

- 1. Certified copy of Bye Laws/Memorandum and Articles of Association/Trust deed.
- 2. Certified copy of certificate of registration/incorporation.
- 3. Annual reports and Audited Balance sheets for the last three years.
- 4. Certified copy of the title deeds of the total available land as proof of ownership.
- 5. Certified copy of zoning plans of the available sites indicating their land use.
- 6. Proof of ownership of existing hospital
- 7. Certified copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government/Union Territory Administration.
- 8. Certified copy of the consent of affiliation issued by a recognized University.
- 9. Authorization letter addressed to the bankers of the applicant authorizing the Central Government/Central Council of Indian Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.
- 10. Other enclosures as per the various parts of applications (Please indicate details).

NOTE: All the copies shall be attested by a gazetted officer.

FORM-2

(See sub-regulation (2) of regulation 4)

Application for permission to open a new or higher Course of study or training

- 1. Name of the applicant (in BLOCK letters)
- 2. Complete Address with PIN code, telephone nos., fax and e-mail) (in BLOCK letters)
- 3. Address of Head Office and Branch Office, if any, with Pin code, telephone nos, telex, fax and e-mail)
- 4. Status of applicant whether State Government/Union Territory/ or University or Trust
- 5. Registration/incorporation (Number and date, if any)
- 6. Name and address of Affiliating University
- 7. Year of admission of first batch for undergraduate course
- 8. Month & year of completion of first admitted UG batch

- 9. No. of seats approved and date of Recognition by CCIM for existing UG/PG course(s)
- 10. Name of the proposed new or higher course(s) of study
- 11. Number of seats applied for in each course
- 12. Details of:
 - (a) additional financial allocation-
 - (b) provision for additional space, equipment and other infrastructure facilities-
 - (c) provision of recruitment of additional staff-
- 13. Any other relevant information

Date:

Signature of Applicant Full Name Designation

List of enclosures:

- 1. Attested copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government/Union Territory Administration
- 2. Attested copy of the concurrence of affiliation issued by a recognized University.
- 3. Authorization letter addressed to the Bankers of the Applicant authorizing the Central Government/Central Council of Indian Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college/institution.
- 4. Attested copy of the letter from Central Council of Indian Medicine approving recognition of the college/institution, if already approved by Central Council of Indian Medicine.

NOTE: All the copies shall be attested by a gazetted officer.

FORM-3

(See sub-regulation (3) of regulation 4)

Application for permission to increase the admission capacity

- 1. Name of the applicant (in BLOCK letters)
- 2. Complete Address with PIN code, telephone nos., fax and e-mail) (in BLOCK letters)
- 3. Address of Head Office and Branch Office, if any, with Pin code, telephone nos, telex, fax and e-mail)

- 4. Status of applicant whether State Government/Union Territory/ or University or Trust
- 5. Registration/incorporation (Number and date, if any)
- 6. Name and address of Affiliating University
- 7. Year of admission of first batch for undergraduate course
- 8. Month & year of completion of first admitted UG batch
- 9. No. of Seats approved and date of Recognition by CCIM for existing UG/PG course(s)
- 10. Name of the course(s) of study applied for increase in admission capacity
- 11. Number of seats applied for in each subject/course
- 12. Details of:
 - (a) additional financial allocation-

- (b) provision for additional space, equipment and other infrastructural facilities-
- (c) provision of recruitment of additional staff-
- 13. Any other relevant information

Date:

Signature of Applicant

Full Name

Designation

List of Enclosures:

- 1. Attested copy of the 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government/Union Territory Administration on the prescribed proforma.
- 2. Attested copy of the concurrence of the University to which the college/institute is affiliated.
- 3. Authorization letter addressed to the Bankers of the Applicant authorizing the Central Government/Central Council of Indian Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college/institution.
- 4. Attested copy of the letter from Central Council of Indian Medicine approving recognition of the college/institution, if already approved.

NOTE: All the copies shall be attested by a gazetted officer.

FORM-4 (See sub clause 1(c), 2(a) and 3(a) of regulation 6)

No Objection Certificate from the State Government

No Government of The Department of ISM,
Dated, the

(Name and address of applicant),

Subject : No Objection Certificate

Reference:

Sir,

To

The desired "No Objection Certificate" in respect of following facts is being issued:-

- (1) Number of Medical and Ayurved or Siddha or Unani Tibb institutions already existing in the State.
- (2) Number of seats available or number of Medical and Ayurved or Siddha or Unani Tibb practitioners being produced annually.
- (3) Number of Ayurved or Siddha or Unani Tibb practitioners registered with the State Council/Board of Indian Systems of Medicine.
- (4) Number of Ayurved or Siddha or Unani Tibb practitioners in State Government Service.
- (5) Number of vacant Government posts of Ayurved or Siddha or Unani Tibb doctors in the State, particularly in rural/difficult areas.
- (6) Number of Ayurved or Siddha or Unani Tibb doctors registered with the State Employment Exchanges.
- (7) Ayurved or Siddha or Unani Tibb Doctors-population ratio in the State.
- (8) How the establishment of the medical College/increase in admission capacity/starting------ course would resolve the problem of deficiencies of qualified medical personnel in the State and improve the availability of such

medical manpower in the State.

- (9) The restrictions imposed by the State Government, if any, on students who are not domiciled in the State from obtaining admissions in the State be specified.
- (10) Full justification for opening of the proposed medical College/increase in admission capacity/starting new or higher course.
- (11) Ayurved or Siddha or Unani Tibb Doctors-population ratio to be achieved.

The (name of the person) for establishment of Ayurved or Siddha or Unani Tib	has applied b college at
Government of has decided to issue Certificate' to the applicant for the establishment of an Ayurved or S Tibb College with (number) seats/increas capacity fromtoseats/starting course.	he proposal, the 'No Objection iddha or Unani

It is certified that: -

- (a) the applicant owns and manages a 100-bedded hospital, which was established in the year ______,
- (b) it is desirable to establish an Ayurved or Siddha or Unani Tibb College in the public interest /increase in admission capacity/starting----- course and

It is also certified that adequate clinical material as per norms of the Central Council of Indian Medicine is available with the proposed/existing Medical College. It is further certified that in case the applicant fails to create infrastructure for the Ayurved or Siddha or Unani Tibb College as per Central Council of Indian Medicine norms and fresh admissions are stopped by the Central Government, the State Government shall take over the responsibility of the students already admitted in the College with the permission of the Central Government.

Yours faithfully,

(Signature of the Competent Authority)
Office Seal

FORM-5

(See sub clause 1(d), 2(b) and 3(b) of regulation 6)

CONSENT OF AFFILIATION

No	
University	,
	Place
	Dated
On the basis of the report of the Local Inqu has agreed in principle,	iry Committee, the University of to affiliate the proposed Ayurved
or Siddha or Unani Tibb College with admis established at by the (admission capacity fromtoseats of the content of the cont	ssion capacity of seats to be name of the applicant) increase in
course. subject to grant of permiss Ministry of Health and Family Welfare, New	sion by the Government of India,
Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970).

REGISTRAR

^{*} Note:- While issuing Consent of Affiliation to the applicant, a copy of the same along with detailed inspection report of the proposed medical college may be provided simultaneously to the Secretary, Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, Indian Red Cross Society Building, New Delhi-110 001.

FORM- 6

(See regulation 7)

Recommendation of the Central Council of Indian Medicine

No		
Central Council of Indian Medicine		
Place	•••	
Dated	•••	
То		
Secretary to the Government of India Ministry of Health and Family Welfare Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH) Indian Red Cross Society Building 1-Red Cross Road New Delhi-110 001		
Sir,		
by the inspection team appointed by the Central Council of Indian Medicine. A copy of inspection report is enclosed.	the	
2. The inspection report and all other related papers were placed before the Executive	ive	

Committee City of the City of t	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Committee of the Council in its meeting held on	•
consideration of Al	On careful
consideration of the proposal, the Executive Committee decided	
consideration of the proposal, the Executive Committee decided tapproval/disapproval of the Scheme. The decision of the Executive Capproved by before the General Rody in its proposal and the Executive Capproved by before the General Rody in its proposal and the Executive Capproved by before the General Rody in its proposal and the Executive Capproved by before the General Rody in its proposal and the Executive Capproved by before the General Rody in its proposal and the Executive Capproved by before the General Rody in its proposal and the Executive Capproved by before the General Rody in its proposal and the Executive Capproved by before the General Rody in its proposal and the Executive Capproved by before the General Rody in its proposal and the Executive Capproved by before the General Rody in its proposal and the Executive Capproved by before the General Rody in its proposal and the Executive Capproved by before the General Rody in its proposal and the Executive Capproved by before the General Rody in its proposal and the Executive Capproved by before the General Rody in its proposal and the Executive Capproved by the Executive Capp	o recommend for
The decision of the control of the c	ammittae hee t
approved by before the General Body in its meeting held on	omminuee nas been
22 de General Body in its meeting held on	

- 3. On careful consideration of the Scheme and inspection report, the Central Council has arrived at the following conclusion
 - i) that the applicant fulfils the eligibility and qualifying criteria;
 - that the applicant has a feasible and time bound programme to set up the proposed Ayurved or Siddha or Unani Tibb College along with required infrastructure facilities including adequate hostel facilities for boys and girls and as specified by the Central Council, commensurate with the proposed intake of students so as to establish the College fully within a period of four years from the date of grant of permission;
 - that the applicant has a feasible and time bound expansion programme to provide additional beds and infrastructure facilities as specified by the Central Council, by way of up-gradation of the existing Hospital or by way of establishment of new Hospital in the same College campus or both so as to collectively provide the specified bed complement within a period of four years from the date of grant of permission to set up the proposed College;
 - iv) that the applicant has necessary managerial and financial capabilities to establish and maintain the proposed college and its ancillary facilities including a teaching Hospital;
 - v) that the applicant has a feasible and time bound programme for recruitment of faculty and staff as per prescribed norms of the Central Council and that the necessary posts stand created;
 - vi) that the applicant has not admitted any students and
 - vii) deficiencies, if any, in the infrastructure or faculty.

 (be pointed out indicating whether these are remediable or not)

The position regarding infrastructure facilities is as under: -

S.No.	Requirement at the time of inception as per Central Council of Indian Medicine norms	Available	Remarks
1.	Staff		
2.	Buildings		
3.	Equipment	•	
4.	Faculty		
5.	Pharmacy		
6.	Medicinal Plants Garden		
7.	Other requirements		

In view of the above position, the Council recommends to the Central Government for issuing/not issuing the Letter of Intent.

(In case the Council does not recommend issue of Letter of Intent)	
The reasons for disapproval of the Scheme are as under: -	
a)	
b)	
c)	
The scheme, in original, is returned herewith.	÷
	Yours faithfully,

(Registrar-cum-Secretary) Central Council of Indian Medicine

Enclosures: - Inspection report and Scheme.

SCHEDULE

(see regulation 5)

SCHEDULE FOR RECEIPT AND PROCESSING OF THE APPLICATIONS

S.No.	State of processing	Last Date
1.	Receipt of applications by the Central Government	1st April to 30th April (both days inclusive) of any year.
2.	Forwarding of applications by Central Government to Central Council of Indian Medicine for technical scrutiny	31st May
3.	Recommendations of Central Council to Central Government	31st August
1 .	Issue of letter for making Enquiries, if any, under sub-section (5) of section 13 A by the Central Government.	30 th September.
5.	Receipt of reply to the enquiries made from the applicant	31 st October
	Receipt of scheme by the Central Council for consideration for issue of letter of permission.	30 th November
•	Recommendation of Central Council to Central Government for issue of Letter of Permission	28th February
	Issue of Letter of Permission by the Central Government	31st March

Note: (1) The information given by the applicant in Part-I of the application for setting up Ayurveda/Siddha/Unani Tibb college that is information regarding organization, basic infrastructure facilities, managerial and financial capabilities of the applicant shall be scrutinized by the Central Council through an application and thereafter the Central Council may recommend issue of Letter of Intent by the Central Government.

(2) Renewal of permission shall not be granted to the new Medical College if the above Schedule for opening Ayurveda/Siddha/Unani Tibb College is not adhered to; and admissions are made without prior approval of the Central Government.

P. R. SHARMA, Registrar-cum-Secy. [ADVT-3/4/Extraordinary/124/03]